कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
गांधी चौक के पास नया मुख्यालय भवन रायपुर
फोन नं. : 2535780, 90, फैक्स : 0771-2227305, E - mail -: dc_rmc@rediffmail.com

: : अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना : :

क्रमांक / 2482 / यो.शा. / PMAY-HFA /न.पा.नि. / 2020 रायपुर, दिनांक 06 / 05 / 2020

नगर पालिक निगम, रायपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना प्रकोष्ठ को निम्नानुसार संसाधन पंजीकृत फर्म / एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा मैनुअल पध्दति से आमंत्रित की जाती है। निविदा की अंतिम तिथि 21.05.2020 है, अन्य विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्ते नगर पालिक निगम, रायपुर के वेबसाइट http://nagarnigamraipur.nic.in अथवा e-Procurement Portal एवं मुख्यालय के तृतीय तल स्थित कक्ष क्र 402 से प्राप्त की जा सकती है।

अतः मैनुअल पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	आगणित राशि (रू.में)	अमानती राशि (रू.में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रू.में)	निविदा प्रपत्र का प्रकार एवं निविदा दर	समयावधि
1.	10 उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराये जाने का कार्य।	17,32,060.00	5,000.00	750.00	प्रपत्र 'ब' कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर द्वारा निर्धारित दर	11 माह

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
रायपुर

उच्च कुशल श्रमिक हेतु नियम व शर्ते

1. निविदा में प्रभावशील कलेक्टर दर पर कर्मचारियों को देय वेतन, विशेष वेतन एवं प्रचलित ईपीएफ/ईएसआईसी/जीएसटी/ठेकेदार लाभांश का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की जाये। इसमें भविष्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार समय–समय पर परिवर्तित की जाने वाली दर के संबंध मे भी बढ़ी हुई दर के अनुसार उसका समावेश किया जाये, अन्यथा निविदा में अस्पस्ट दर प्राप्त होने पर बढ़ी हुई दर से परिवर्तित दर पर भुगतान करने की बाध्यता ठेकेदार की होगी।
2. आमंत्रित कार्य की निविदा की राशि के समतुल्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग में किये गये सफल कार्य की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
3. उच्च कुशल श्रमिक का कार्य 08 घंटे का होगा।
4. आवश्यकता होने पर अवकाश के दिन काम करना होगा।
5. कर्मचारी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
6. कार्य संतोषजनक नही होने पर कर्मचारियों को बदलने का अधिकार नगर पालिक निगम, रायपुर को होगा। कार्य में संतोषजनक सुधार नही होने पर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।
7. अनुपस्थित होने पर उस दिन का भुगतान काटा जायेगा। कार्यालय को पूर्व में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. उच्च कुशल श्रमिक की उपस्थिति मुख्यालय में स्थापित निष्ठा एप्प से प्राप्त होने तथा विभाग से प्रमाणित एवं सत्यापित होने पर मान्य की जावेगी।
9. अनुबंधकर्ता को छ.ग. में प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्ट तथा ईपीएफ/ईएसआईसी की समस्त एवं शासन के अन्य प्रचलित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिये नगर पालिक निगम, रायपुर जिम्मेदार नही होगी।
10. नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर किसी अन्य सक्षम निविदाकार से कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु ओदश दिया जा सकेगा।
11. प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समय पर देयक प्रस्तुत नही करने पर वह संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
12. प्रत्येक कर्मचारी का ईपीएफ/ईएसआईसी सहित जीएसटी आदि की देय राशि का संबंधित विभाग/कार्यालय से सत्यापित प्रमाणक तथा खोले गये ईपीएफ खाता में जमा की गई राशि की प्रविष्टि का उवलोकन कराने पर उसका भुगतान किया जवेग।।
13. समयावधि में देयक प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति में अर्थदण्ड आरोपित की जा सकेगी।
14. प्रत्येक माह सभी कर्मचारियों को 5 तारीख तक उसके बैंक खाते में भुगतान करना अनिवार्य होगा। 5 तारीख तक भुगतान न होने की स्थिति में भी पेनाल्टी आरोपित की जा सकती है।
15. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने के पूर्व निर्धारित राशि का एफडीआर बतौर सुरक्षा निधि जमा करना होगा।
16. प्रतिबंधित ठेकेदार निविदा में भाग नही लेगा।

D:\HFA NOTE SHEET & LETTER\LETTER & NOTE SHEET\HFA LETTER.doc757

17. निविदा फार्म मुख्यालक के तृतीय तल स्थित कक्ष क्र. 407 से श्री ललित शुक्ला (सहा. ग्र. – 03) से निर्धारित राशि का चालान जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

18. निविदा में भाग लेने हेतु श्रम विभाग, छ.ग. शासन अथवा unified registration (CGPWD) में पंजीकृत होना आवश्यक है।

19. सक्षम निविदाकार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त नपानि, रायपुर के नाम से निर्धारित अमानती राशि (EMD) का एफडीआर, GST पंजीयन, पैन कार्ड, श्रम विभाग/लो.नि.वि. (Unified Registration) का पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र, EPF, ESIC पंजीयन प्रमाण पत्र आदि का Envelope-A में एवं पूर्ण यप से भरा हुआ निविदा फार्म "बी" एवं निविदा दर Envelope-B में पंजीकृत डाक पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजेंगे। हाथो–हाथ अथवा प्रस्तक्ष रूप से स्वीकार्य नही किया जायेगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
रायपुर